फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व विविध जीसीएमएस नंबर 2019/00246 बअनवान जोरावर सिंह बनाम लक्ष्मणसिंह वगैरा

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
19/11/24	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। उपस्थित वकुलाय की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी श्री गणपतलाल चौधरी द्वारा दलील दी गई कि अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि का बेचान हस्तांतरण करने पर आमादा है जिससे मूल वाद के निर्णय तक रिकार्ड व मौके की यथास्थिति कायम रखे जाने कि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने की दलील दी। इसके विपरीत अप्रार्थी सं 1 के अधिवक्ता श्री अमृत परिहार द्वारा भी दलील दी गई कि वादग्रस्त भूमि सहखातेदारी की भूमि है। कानूनन किसी भी सहखातेदार को स्वयं का हिस्सा अथवा हिस्सा में से हिस्सा बिना विभाजन के भी बेचान, हस्तांतरण करने का पूर्ण अधिकार है जिसमे किसी भी अन्य सहखातेदारें को हस्तक्षेप करने का अधिकार नही है। अप्रार्थी सं 1 के द्वारा स्वयं के हिस्से की भूमि का बेचान किये जाने पर प्रार्थी को किसी प्रकार कि अपूरणीय क्षति होने वाली नही है। जिससे प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने कि दलील दी गई। पत्रावली व उपलब्ध रिकार्ड के अध्ययन से ज्ञात है कि प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य 'विवाद संबंधी कोई मौखिक व अभिलेखीय साक्ष्य उभयपक्ष वकुलाय द्वारा पेश नही किये गये है। जिससे प्रस्तुत विभाजन के वाद के निस्तारण तक प्रकरण में वर्णित भूमि के संबंध में किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायसंगत नही है। जिससे प्रार्थी द्वारा ग्राम बिसलपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 2150, 2153, 2154, 2155, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2167, 2169, 2170 कुल खसरा 13 कुल रकबा 6.53 हेक्टर के संबंध में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.) सहायक कलेक्टर एवं पदेन सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली	

CamScanner